भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4510

जिसका उत्तर 27.03.2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों में सर्विस लेन

4510. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले गड्ढों और अन्य सड़क स्थितियों को रोकने के लिए सर्विस लेन के उचित रखरखाव और नियमित मरम्मत को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में सर्विस लेन विकसित करने में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) कई सर्विस लेन पर समुचित सड़क चिन्हों, संकेतों और पैदल यात्रियों के लिए सुविधाओं की कमी, जिससे स्थानीय निवासियों और यात्रियों की सुरक्षा को खतरा है, को दूर करने के लिए क्या कार्यनीतियां अपनाई जा रही हैं;

(घ) सरकार किस तरह से यह सुनिश्चित करने की योजना बना रही है कि सर्विस लेन के निर्माण से कृषि भूमि पर अतिक्रमण न हो या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों को विस्थापित न किया जाए; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सर्विस लेन का कुशलतापूर्वक प्रबंधन किया जाए और व्यापक परिवहन योजना में एकीकृत किया जाए, मंत्रालय द्वारा राज्य और स्थानीय प्राधिकरणों के साथ समन्वय करने में क्या भूमिका निभाई जा रही है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार ने सर्विस रोड सहित मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) नेटवर्क के रखरखाव को प्राथमिकता दी है, तथा अन्य बातों के साथ-साथ जवाबदेह रखरखाव एजेंसी के माध्यम से सभी राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के रखरखाव और मरम्मत (एमएंडआर) को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यतंत्र विकसित किया है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के उन खंडों की मरम्मत एवं पुनर्स्थापन, जहां विकास कार्य शुरू हो चुके हैं या संचालन, रखरखाव एवं अंतरण (ओएमटी) रियायतें/ संचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) सौंपे जा चुके हैं, दोष देयता अवधि (डीएलपी)/रियायती अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राहियों/संविदाकारों की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार, टीओटी (टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर) और इनविट (इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) के तहत किए गए राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों के लिए, एमएंडआर जिम्मेदारी रियायत अवधि के अंत तक संबंधित रियायतग्राही की होती है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के शेष सभी खंडों के लिए, सरकार ने कार्य निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) या अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के माध्यम से रखरखाव कार्य करने का नीतिगत निर्णय लिया है।

सड़क की स्थिति में चिन्हित किए गए दोषों/ सड़क की स्थिति से संबंधित समस्याएं जिसमें गड्ढे भी शामिल हैं, के साथ-साथ अन्य रखरखाव/ संविदाकार द्वारा मरम्मत कार्य /रियायतग्राही द्वारा अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाता है। नियमित फील्ड रिपोर्टों के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है तथा चूककर्ता संविदाकार/रियायतग्राही के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अनुबंध दस्तावेजों में दंड प्रावधानों को शामिल किया जाता है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सर्विस रोड आम तौर पर शहरी/अर्ध-शहरी स्थानों पर बनाए जाते हैं, जहाँ स्थानीय यातायात पर्याप्त होता है, ताकि गैर-मोटर चालित वाहनों सहित स्थानीय यातायात को राष्ट्रीय राजमार्गों पर तीव्र गति से चलने वाले यातायात से अलग किया जा सके। मोड़ पर आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए एलिवेटेड खंड और फ्लाईओवर/ग्रेड सेपरेटर/वाहन अंडर पास (वीयूपी) के नीचे भी सर्विस रोड बनाए जाते हैं।

केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों में निर्मित और निर्माणाधीन सर्विस रोड की लंबाई का विवरण, जिसमें ऐसे राज्यों के ग्रामीण और वंचित क्षेत्र भी शामिल हैं, निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	**राज्य**	**निर्मित सर्विस रोड की लंबाई (किमी में)**	**निर्माणाधीन सर्विस रोड की लंबाई (किमी में)**
1	केरल	612	364
2	तमिलनाडु	1,903	419
3	तेलंगाना	595	118

(ग) सरकार भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार रात में बेहतर दृश्यता के लिए थर्मोप्लास्टिक पेंट और रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइनेज के साथ सड़क चिह्नांकन करती है। सर्विस लेन डिज़ाइन में फुटपाथ, फुट ओवरब्रिज और क्रॉसिंग के माध्यम से पैदल यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाई जाती है।

संविदाकार/रियायतग्राही डीएलपी/रियायत अवधि के दौरान सर्विस रोड सहित एनएच के खंडों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। एनएच के खंडों, विशेष रूप से एसटीएमसी/पीबीएमसी कार्यों के रखरखाव के लिए नियुक्त संविदाकार यह सुनिश्चित करते हैं कि उपरोक्त सहित सभी सुविधाओं का उचित रखरखाव किया जाए।

इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) वन/तत्पर ऐप के माध्यम से ऐप आधारित निगरानी से फील्ड अधिकारियों/इंजीनियरों/संविदाकारों/रियायतग्राहियों द्वारा सीधे साइट पर ही राजमार्ग परियोजना प्रबंधन की सुविधा मिलती है, जिसमें दैनिक और मासिक दोषों की डिजिटल रिपोर्टिंग, निरीक्षण के लिए जियो-टैग और टाइम-स्टैम्प्ड फोटो प्रस्तुत करना और परीक्षण परिणामों को डिजिटल रूप से अपलोड करना शामिल है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सर्विस रोड का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्गाधिकार (आरओडब्ल्यू) के अंतर्गत किया जाता है। सर्विस रोड सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ङ) सरकार द्वारा राज्य और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय से राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए सर्विस रोड का निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास परियोजनाओं के दायरे के रूप में समय-समय पर यातायात सघनता, सड़क के किनारे विकास/परियोजना राजमार्ग से सटे बस्ती, भीड़भाड़, स्थानीय यातायात के लिए पहुँच आदि आधार पर किया जाता है।

*****